न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा(धौलपुर)

पीठासीन अधिकारी – देवी सिहं (आर0ए0एस0)

मूल वाद सं– 38/19

1. मायादेवी पत्नी रामेश्वर
2. हरीशंकर
3. मुन्नीलाल — पि0 रामेश्वर
4. रामशंकर

कौम वघेल निवासी वार्ड सं 23 दूल्हेराय का घेर, राजाखेड़ा तहसील राजाखेड़ा

------ वादी

ब्नाम

1. मंगलसिंह — पि0 काशीराम
2. केदारसिंह
3. सावित्री — पुत्रियान काशीराम
4. पूरनदेई
5. शिवचरन पुत्र वदनसिंह
6. खुशीराम — पि0 लक्ष्मनसिंह
7. भूपसिंह
8. रामजीत
9. रामनिवास
10. त्रिवेनी पत्नी लक्ष्मनसिंह
11. विल्लादेवी पत्नी जनक सिंह
12. हरिकेश
13. रामकेश — पुत्रान जनकसिंह
14. सुरेन्द्र
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसील राजाखेडा वहैसियत लेण्ड होल्डर

कौम वघेल नि0 वार्ड न0 23 दूल्हेराय का घेर राजाखेड़ा तहसील राजाखेड़ा

.....प्रतिवादीगण

दावा– विभाजन काश्त मय स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए.

उपस्थिति :–

1. विद्वान अधिवक्ता :– श्री ऐ.के. जैन, वादी
2. विद्वान अधिवक्ताः– श्री विजय श्रीवास्तव, प्रतिवादी

निर्णय

मूल वाद सं. 38/19 दिनांक :– 13.08.2022

वादी ने यह वाद बटवारा काश्त मय स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर विवादित आराजी ग्राम कस्वा महदवार न0 2 ख.न. 3734 रकवा 2.10 वि0, 3735 रकवा 1–08 वि0, 3736 रकवा 4.08 वि0, 3737 रकवा 1–19 वि0, 3738 रकवा 1–10 वि0, 3879 रकवा 1–07 वि0, 3880 रकबा 0–07 वि0, 3918 रकवा 1–02 वि0, 3919 रकवा 0–12 वि0, 4054 रकवा 1–12 वि0, 4055 रकवा 0–18 वि0, 4056 रकवा 0–13 वि0, कुल किता 12 कुल क्षेत्रफल 18.06 वि0 वादी हिस्सा 1/4 व आराजी ख.न. 4045 रकवा 0–18 वि0, 4046 रकवा 1–15 वि0, 4080

वा 0–15 वि0 कुल किता 3 कुल रकवा 2–18 विस्वा हिस्स वादीगण 1/4 स्थित कस्बा महदवार न0 2 हसील राजाखेडा है।विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व वास्तविक कब्जे काश्त की है जिसका आज तक विधिवत विभाजन नहीं है। उपरोक्त विवादित आराजी में वादीगण हिस्सा बराबर 1/4 के व प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 4 हिस्सा बराबर 1/4 प्रतिवादी स0 5 हि0 1/4 एवं प्रतिवादी स0 6 ल0 14 हिस्सा बराबर 1/4 के संयुक्त रूप से खातेदार काश्त है तथा संयुक्त रूप से काश्त व फसल का फायदा उठा रहे हैं। मु0 काशीराम का देहान्त अर्सा करीबन 6 वर्ष पूर्व निधन हो गया है उसके वारिस व काबिज तर्का प्रतिवादी स0 1 ल0 4 है। मु0 जनकसिंह अर्सा करीब 9 वर्ष पूर्व फौत हो चुका है। उसके वारिस प्रतिवादीगण स0 12 ल0 14 हैं जिन्हे पक्षकार प्रकरण बनाया गया है। विवादित आराजी में से कुछ आराजी रोड से सटी हुई है। जिसकी वेल्यू अन्य आराजी से अधिक है। इसीलिए प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 14 सड़क से लगी विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है तथा वादीगण को सड़क वाले कीमती विवादित नम्बरों से वेदखल करने की फिराक में हैं। प्रविादीगण स0 1 ल0 14 ने आपस में साज करली है वे वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग–उपभोग में आये दिन व्यवधान करने लगे। वादीगण को कीमती विवादित आराजी से वेदखल करना चाहते है। एक सप्ताह पूर्व विवादित आराजी का वेल्यू के एवं सड़क की स्थिति के अनुसार वाहमी तौर पर विभाजन करने की प्रतिवादीगण से कहा तो सभी ऐंठ गये और बातें की हम तो सड़क वाले कीमती खेतों पर जबरन लठ्ठ के बल पर कब्जा कर लेंगें तभी विभाजन करवायेंगे। उपरोक्त स्थिति में वादीगण को यह आवश्यक हो गया कि वह विवादित आराजी का सड़क/दगरे की स्थिति एवं वेल्यू के अनुसार जरिये अदालत विभाजन कराकर अपना खाता एवं लगान पृथक–पृथक कराये जिसके वादीगण अधिकारी है एवं दावेदार है। विवादित आराजी का बंटवार वाई मीट्स एण्ड वाउण्ड्स किया जाकर खाता एवं लगान पृथक–पृथक किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में वाधा उत्पन्न नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 7 ल0 9, 11 ल0 13 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 6 न्यायालय में उपस्थित आये। उभयपक्षकारान की सहमति के आधार पर वादी का वाद दिनांक 27.01.2021 को प्रारम्भिक डिक्री किया गया था कि वर्तमान रिकॉर्ड के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार तहसीलदार राजाखेडा से कुर्रेजात प्रस्ताव चाहे गये थे। तहसीलदार राजाखेडा द्वारा अपने पत्रांक एल.आर./22/2428 दिनांक 10.08.2022 को कुर्रेजात प्रस्ताव दिये गये है जिन पर अभिभाषक को सुना गया। उनके द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की तथा दावा मुताविक कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया कुर्रेजात प्रस्ताव पर गौर किया। हम मुताविक कुर्रेजात प्रस्ताव दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक कुर्रेजात प्रस्ताव विवादित आराजी स्थित कस्वा महदवार न0 2 का निम्न प्रकार से अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि – आराजी खसरा न0 3734/3 रकवा 0.0172 हे0 किस्म बा.प्र., 3735/3 रकवा 0.0141हे0 किस्म बा.प्र., 3736/1 रकवा 0.2184 हे0 किस्म बा.दो., 3736/5 रकवा 0.1281 है0, 3737/2 रकवा 0.2331 हे0 किस्म बा.प्र., 3738/1 रकवा 0.1321हे0 किस्म बा.दो., 3879/3 रकवा 0.1138 है0 किस्म बा.गो., 3880/1 रकवा 0.0379 हे0 किस्म बा.गो., 4054/2 रकवा 0.2024 हे0 किस्म बा.अ., 4055/1 रकवा 0.1138 हे0 किस्म बा.अ., 4056/1 रकवा 0.0822 हे0 किस्म बा.प्र., 4080/3 रकवा 0.0474 हे0 किस्म बा.अ. कुल किता 12 कुल रकवा 1.3405 कुल लगान 0.5900 मायादेवी पत्नी रामेश्वर मुन्नीलाल, रामशंकर, हरीशंकर पुत्रगण रामेश्वर हि0 व कौम बघेला सा. घेर दूल्हाराय मजरा देह खातेदार के हिस्से व कब्जे में रहेगी। आराजी ख.न. 3734/1 रकवा 0.3795 हे0 किस्म बा.प्र., 3735/1 रकवा 0.1502 हे0 किस्म बा.प्र., 3736/3 रकवा 0.2132 हे0 किस्म बा.दो., 3879/1 रकवा 0.1076 हे0 किस्म बा.गो., 3880/3 रकवा 0.0126 हे0 किस्म बा.गो., 3918 रकवा 0.2782 हे0 किस्म बा.गो., 3919 रकवा 0.1518 हे0 किस्म बा.गो., 4080/1 रकवा 0.0474 हे0 किस्म बा.अ. कुल किता 8 कुल रकवा 1.3405 कुल लगान 0.5900 शिवचरन पुत्र बदनसिंह कौम बघेला सा. घेर दूल्हाराय मजरा देह खातेदार के हिस्से व कब्जे में रहेगी। आराजी ख.न. 3736/2 रकवा

2356 हे0 किस्म बा.दो., 3737/1 रकवा 0.2601 हे0 किस्म बा.प्र., 3738/2 रकवा 0.2473 हे0 किस्म बा.दो., 4045/2 रकवा 0.1833 हे0 किस्म बा.गो., 4046/2 रकवा 0.2087 हे0 किस्म बा.गो., 3879/2 रकवा 0.1201 हे0 किस्म बा.गो., 3880/2 रकवा 0.0380 हे0 किस्म बा.गो., 4080/4 रकवा 0.0475 हे0 किस्म बा.अ. कुल किता 8 कुल रकवा 1.3406 कुल लगान 0.5900 काशीराम पुत्र बदनसिंह कौम बघेला सा. घेर दूल्हाराय मजरा देह खातेदार के हिस्से व कब्जे में रहेगी। आराजी ख.न. 3734/2 रकवा 0.2356 हे0 किस्म बा.प्र., 3735/2 रकवा 0.1898 हे0 किस्म बा.प्र., 3736/4 रकवा 0.3176 हे0 किस्म बा.दो., 4045/1 रकवा 0.0443 हे0 किस्म बा.गो., 4046/1 रकवा 0.1075 हे0 किस्म बा.गो., 4054/1 रकवा 0.2023 हे0 किस्म बा.अ., 4055/2 रकवा 0.1138 हे0 किस्म बा.अ., 4056/2 रकवा 0.0822 हे0 किस्म बा.प्र., 4080/2 रकवा 0.0474 हे0 किस्म बा.अ. कुल 9 कुल रकवा 1.3405 कुल लगान 0.5900 त्रिवेनी पत्नी लक्ष्मनसिंह, खुशीराम, जनकसिंह, भूपसिंह, रामजीत, रामनिवास पुत्रगण लक्ष्मनसिंह हि. व. कौम बघेला सा. घेर दूल्हाराय मजरा देह खातेदार के हिस्से व कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक खाते कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगें। फायनल डिक्री नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील होने पर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को मेरे द्वारा लोक अदालत लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

देवी सिंह)
उपखण्डाधिकारी, राजाखेडा